—

उत्तराखण्ड शासन
वित्त आडिट प्रकोष्ठ
पत्र संख्या: 19 /XXVII(11)/2016
देहरादून: दिनांक: 02 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन के अधीन लेखा परीक्षा एंव प्रतिवेदनों के निर्गमन किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

आडिट विभाग द्वारा आडिटी की लेखा परीक्षा एंव लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निर्गमन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं,

1. लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित आडिटी को एक पूर्व अनुदेश/सूचना भेजी जायेगी, जिसके साथ लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2012 के लेखा परीक्षा प्रारूप के अनुच्छेद– 1 के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने का अनुदेश भी दिया जायेगा।

2. लेखा परीक्षा दल के लेखा परीक्षा हेतु पहुचने पर सम्बन्धित विभागीय स्टाफ और अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जायेगा एवं समस्त अभिलेख/प्रलेख लेखा परीक्षा दल को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

3. विभागीय लेखा परीक्षा दल द्वारा विभागों/कार्यालयों के आडिट के दौरान सर्वप्रथम अन्तरिम आपत्तियां (Rough note) संसूचित किये जायेंगे।

4. अन्तरिम आपत्तियां(Rough note) में इंगित आपत्तियों पर आडिटी द्वारा अधिकतम 15 दिवस के भीतर साक्ष्यों व अभिलेखों सहित परिपालन आख्या से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जायेगा।

5. लेखा परीक्षा दल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि तद्कम में लेखा परीक्षा आपत्तियो/अभिमतों और आडिटी से प्राप्त किये गये उत्तर/परिपालन के सम्बन्ध में एक एक्जिट मीटिंग सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण के साथ संचालित की गयी है।

6. लेखा परीक्षा प्रभारी द्वारा एक्जिट मीटिंग के पश्चात् अनिस्तारित व अपरिपालित आपत्तियों को सम्मिलित कर ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अन्तरिम आपत्तियां व परिपालन आख्या संलग्न कर) अनुमोदन हेतु चार सप्ताह में निदेशालय, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा।

7. आडिट दल द्वारा प्रस्तुत आडिट प्रतिवेदन/रिपोर्ट का परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति/लेखा परीक्षा समीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालय, विभागाध्यक्ष को संसूचित किया जायेगा।

8. अन्तिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निश्चित समयावधि में पारित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैं :–

(i) श्रेणी 'ए' के विभागों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों तथा राज्य सरकार द्वारा चयनित फर्म के माध्यम से आऊटसोर्सिंग द्वारा सम्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन शासन स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा। गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त आडिट प्रतिवेदन पारित किये जाने के संस्तुति की जायेगी। तदोपरान्त प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त के अनुमोदन से विभागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया जायेगा।

1	सयुक्त सचिव, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
2	पर्यवेक्षक अधिकारी, निदेशालय लेखा परीक्षा, देहरादून।
3	आडिट आफिसर, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) श्रेणी 'बी' एवं 'सी' के विभागों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन निदेशक, लेखा परीक्षा स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा प्रतिवेदनों का परीक्षण कर पारित किये जाने की संस्तुति की जायेगी जिसके उपरान्त निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त विभागों एवं संस्थाओं का अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया जायेगा।

1	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, लेखा परीक्षा निदेशालय, देहरादून
2	उप निदेशक, लेखा परीक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड
3	सम्बन्धित टीम लीडर

(iii) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धित समिति के सम्मुख एक टंकित प्रति एवं एक शाफ्ट प्रति में प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा प्राप्त ड्राफ्ट आडिट प्रतिवेदन के परीक्षण/आंकलन पश्चात् अनुमोदन हेतु संस्तुति की जायेगी जिसके आधार पर इस हेतु नियत अधिकारी के अनुमोदन से अन्तिम आडिट प्रतिवेदन निर्गत किया जायेगा। समिति द्वारा यदि किसी आडिट रिपोर्ट में कोई कमी पायी जाती है तो कमेटी द्वारा ड्राफ्ट प्रतिवेदन पुनः आडिट दल को संशोधन सहित प्रस्तुत करने हेतु वापस की जायेगी। आडिट दल द्वारा संशोधित आडिट रिपोर्ट 15 दिन में निदेशालय को प्रस्तुत की जायेगी एवं पुनः उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिवेदन को अंतिम रूप देकर निर्गत किया जायेगा।

(iv) समिति की बैठक पाक्षिक रूप में अनिवार्य रूप से आहूत की जायगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आडिट प्रतिवेदन निर्गत करने में विलम्ब न हो।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव, वित्त।

<u>संख्या– 19 /**XXVII**(11)/2016 तद्दिनांकित :–</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, लेखा परीक्षा, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(जे0सी0 जोशी)
संयुक्त सचिव,
वित्त आडिट प्रकोष्ठ।